14 OCT 2000

उत्तर प्रदेश

01CC 046535

Identified
Advocate

पट्टागत नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड का विलेख

नजूल भूमि पर निजी स्वामित्व प्रदान किये जाने हेतु फ्रीहोल्ड के प्रमाण पत्र का यह विलेख सन् ~~2007~~ 2004 ई० के जनवरी माह के 9 वें दिन, तदनुसार शक सम्वत 1925 के पौष मास के ~~.....~~ 19 वें दिन को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, (जिनको यहाँ आगे चल कर 'विक्रेता' कहा गया है) प्रथम पक्ष तथा श्री गौरव मोहन पुत्र स्व० श्री मनमोहन मैनेजिंग डायरेक्टर अद्वैत आटो फाइनेन्स (प्रा०) लिमिटेड, निवासी 18, कानपुर रोड, इलाहाबाद व श्रीमती नीलिमा गुप्ता पत्नी श्री विदुष अग्रहरि डायरैक्टर श्याम हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स (प्रा०) लिमिटेड, निवासी 44, बार्नहिल रोड, इलाहाबाद व श्री अशोक कुमार देवड़ा पुत्र स्व० श्री पुरुषोत्तम लाल देवड़ा, ट्रस्टी देवड़ा लोक मंगल ट्रस्ट,

क्रेतागण के हस्ताक्षर

1.

2.

3.

विक्रेता

9.1.2004

उपजिलाधिकारी, इलाहाबाद
राज्यपाल, उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(सत्य नारायण श्रीवास्तव)
अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक)
इलाहाबाद

0100 046536

(2)

6, सरदार पटेल मार्ग, इलाहाबाद (जिनको यहाँ आगे चलकर **"क्रेतागण"** कहा गया है) द्वितीय पक्ष, के मध्य लिखा गया है।

चूँकि **उत्तर प्रदेश के राज्यपाल** एवं श्री सुभाष चन्द्र मुकर्जी, समीर चन्द्र मुकर्जी, सुद्धद चन्द्र मुकर्जी, सुधीर चन्द्र मुकर्जी व सत्येन्द्र चन्द्र मुकर्जी पुत्रगण स्व० श्री एच.सी.मुकर्जी निवासीगण 5/3, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, इलाहाबाद के मध्य निष्पादित पट्टा विलेख दिनाँक **28.01.1989 ई०** जो बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3134 के पृष्ठ 27/34 पर विलेख संख्या 6828 के क्रम में सब रजिस्ट्रार सदर, जनपद इलाहाबाद के कार्यालय में दिनांक **31.12.1990 ई०** को रजिस्टर्ड है, (जिसे आगे **'पट्टा विलेख'** कहा गया है और जिसमें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को **'पट्टादाता'** और श्री सुभाष चन्द्र मुकर्जी, समीर चन्द्र मुकर्जी, सुद्धद चन्द्र मुकर्जी, सुधीर चन्द्र मुकर्जी व सत्येन्द्र चन्द्र मुकर्जी पुत्रगण स्व० श्री एच.सी.मुकर्जी को **"पट्टेदार"** कहा गया है) जो कि उक्त पट्टागत भूमि भूखण्ड संख्या 40, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद जिसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल

क्रेतागण के हस्ताक्षर

1.

2.

3.

विक्रेता

जिला० जिलाधिकारी, इलाहाबाद
राज्यपाल, उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(भूमि संरक्षण अधिकारी)
तथा जिला मजिस्ट्रेट (नजूल)
इलाहाबाद

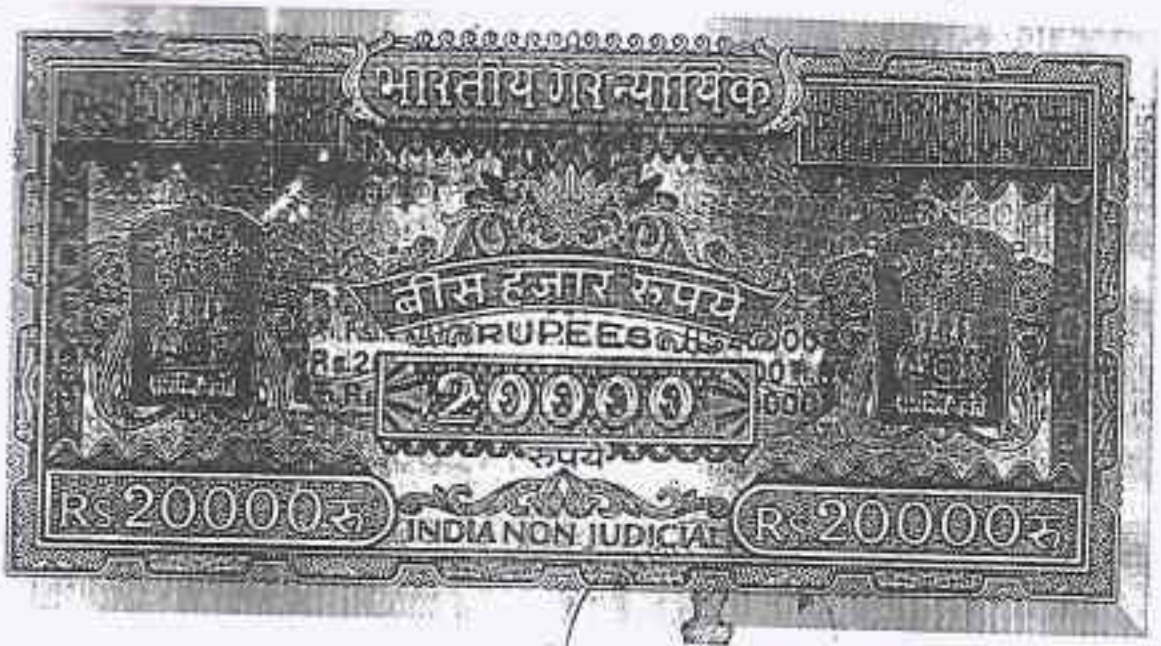

01CC 046537

14 OCT 2000

उत्तर प्रदेश

(3)

2 एकड़ 4594 वर्गगज अथवा 14274 वर्गगज अर्थात 11934.49 वर्गमीटर का पट्टा श्री सुभाष चन्द्र मुकर्जी, समीर चन्द्र मुकर्जी, सुहृद चन्द्र मुकर्जी, सुधीर चन्द्र मुकर्जी व सत्येन्द्र चन्द्र मुकर्जी पुत्रगण स्व० श्री एच.सी मुकर्जी, एवं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के मध्य दिनाँक 28.01.1989 ई० को निष्पादित हुआ था जो कि दिनाँक 02.05.1961 ई० से दिनांक 01.05.1991 ई० तक के लिये प्रभावी था। अंकित सह पट्टेदार सुभाष चन्द्र मुकर्जी व समीर चन्द्र मुकर्जी का स्वर्गवास हो गया और उनकी मृत्योपरान्त श्रीमती आरती मुकर्जी विधवा स्व० श्री सुभाष चन्द्र मुकर्जी, डा० (श्रीमती) मधुमिता गांगुली, डा० (श्रीमती) दीप शिखा बनर्जी पुत्रीगण स्व० श्री सुभाष चन्द्र मुकर्जी व डा० सर्वजीत मुकर्जी पुत्र स्व० श्री सुभाष चन्द्र मुकर्जी व श्रीमती मंजुला मुकर्जी विधवा स्व० श्री समीर चन्द्र मुकर्जी, श्री संजय मुकर्जी व श्री संदीप मुकर्जी पुत्रगण स्व० श्री समीर चन्द्र मुकर्जी उनके विधिक उत्तराधिकारी की हैसियत से उक्त नजूल भूखण्ड संख्या 40, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद के पट्टेदार हुये तथा उनका नाम नजूल सम्पत्ति पंजिका में अंकित हुआ। पट्टे का

क्रेतागण के हस्ताक्षर

1.

2.

3.

विक्रेता

अपर जिलाधिकारी, इलाहाबाद
राज्यपाल, उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(रमा नारायण श्रीवास्तव)
अपर जिला मॉजिस्ट्रेट (नजूल)
इलाहाबाद

01CC 016540

(4)

नवीनीकरण दिनाँक 31.12.1996 ई० को श्री सुहृद चन्द्र मुकर्जी, सुधीर चन्द्र मुकर्जी व सत्येन्द्र चन्द्र मुकर्जी पुत्रगण स्व० श्री एच.सी.मुकर्जी, श्रीमती मंजुला मुकर्जी विधवा स्व० श्री समीर चन्द्र मुकर्जी, श्री संजय मुकर्जी व श्री संदीप मुकर्जी पुत्रगण स्व० श्री समीर चन्द्र मुकर्जी व श्रीमती आरती मुकर्जी विधवा स्व० श्री सुभाष चन्द्र मुकर्जी, डा० (श्रीमती) मधुमिता गांगुली, डा० (श्रीमती) दीप शिखा बनर्जी पुत्रीगण स्व० श्री सुभाष चन्द्र मुकर्जी व डा० सर्वजीत मुकर्जी पुत्र स्व० श्री सुभाष चन्द्र मुकर्जी के पक्ष में निष्पादित हुआ जो दिनाँक 02.05.1991 ई० से 30 वर्षों के लिये अर्थात दिनांक 01.05.2021 ई० तक के लिये प्रभावी है। बादहू इन पट्टेदारों के अनुरोध पर जिलाधिकारी इलाहाबाद ने नजूल भूखण्ड संख्या 40, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद का विभाजन प्रस्तावानुसार शासनादेश संख्या **842/9-आ-4-97-145N/97** दिनांक **20.05.1997** ई० के द्वारा अनुमोदित करा कर अपने पत्र-संख्या **1082/नजूल(सि.ला.)-XXI-8/1(97-98)** दिनाँक **8.8.1997** ई० द्वारा स्वीकृत किया जिसके अनुसार उपविभाजित नजूल भूखण्ड संख्या 40/1, सिविल स्टेशन,

क्रेतागण के हस्ताक्षर

1.

2.

3.

विक्रेता

अपर जिलाधिकारी, इलाहाबाद
राज्यपाल, उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(सत्य नारायण श्रीवास्तव)
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नजूल)
इलाहाबाद

(5)

इलाहाबाद क्षेत्रफल 2393.12 वर्गगज श्रीमती आरती मुकर्जी विधवा स्व० श्री सुभाष चन्द्र मुकर्जी, डा० (श्रीमती) मधुमिता गांगुली, डा० (श्रीमती) दीप शिखा बनर्जी पुत्रीगण स्व० श्री सुभाष चन्द्र मुकर्जी व डा० सर्वजीत मुकर्जी पुत्र स्व० श्री सुभाष चन्द्र मुकर्जी को प्राप्त हुई तथा नजूल भूखण्ड संख्या 40/2, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद क्षेत्रफल 1684.19 वर्गगज़ श्रीमती मंजुला मुकर्जी विधवा स्व० श्री समीर चन्द्र मुकर्जी, श्री संजय मुकर्जी व श्री संदीप मुकर्जी पुत्रगण स्व० श्री समीर चन्द्र मुकर्जी को प्राप्त हुई तथा नजूल भूखण्ड संख्या 40/3, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद क्षेत्रफल 3519.17 वर्गगज़ श्री सुहृद चन्द्र मुकर्जी पुत्र स्व० श्री एच.सी.मुकर्जी को प्राप्त हुई तथा नजूल भूखण्ड संख्या 40/4, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद क्षेत्रफल 4949.14 वर्गगज़ श्री सुबीर चन्द्र मुकर्जी पुत्र स्व० श्री एच.सी.मुकर्जी को तथा नजूल भूखण्ड संख्या 40/5, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद क्षेत्रफल 1728.23 वर्गगज़ श्री सत्येन्द्र चन्द्र मुकर्जी पुत्र स्व० श्री एच.सी.मुकर्जी को प्राप्त हुई। उपरोक्त में से नजूल भूखण्ड संख्या 40/3,सिविल स्टेशन, इलाहाबाद क्षेत्रफल

क्रेतागण के हस्ताक्षर

1.

2.

3.

विक्रेता

SKK जिलाधिकारी, इलाहाबाद
राज्यपाल, उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(S.K. Srivastava)
Addl. District Magistrate (Judl.)
Allahabad

5000Rs.

14 OCT 2020
उत्तर प्रदेश

(6)

3519.17 वर्गगज अथवा 2942.37 वर्गमीटर के पट्टाधारक श्री सुहृद चन्द्र मुकर्जी ने उ० प्र० सरकार की नई फ्रीहोल्ड नीति के अन्तर्गत दिनांक 23.01.1999 को **श्री गौरव मोहन पुत्र स्व० श्री मनमोहन** मैनेजिंग डायरेक्टर अद्वैत आटो फाइनेन्स (प्रा०) लिमिटेड, **श्रीमती नीलिमा गुप्ता** पत्नी श्री विद्युप अग्रहरि डायरेक्टर श्याम हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स (प्रा०) लिमिटेड व **श्री अशोक कुमार देवड़ा पुत्र स्व० श्री पुरूषोत्तम लाल देवड़ा**, ट्रस्टी देवड़ा लोक मंगल ट्रस्ट, (क्रेतागण) के पक्ष में नामित कर दिया है और उपरोक्त क्रेतागण ने उक्त भूभाग क्षेत्रफल **2942.37** वर्गमीटर भूमि को फ्रीहोल्ड कराने का आवेदन किया है। उक्त 2942.37 वर्गमीटर में से स्टैनली रोड के चौड़ीकरण हेतु 62.70 वर्गमीटर भूमि जो संलग्न मानचित्र में पीले रंग से प्रदर्शित है मास्टर प्लान में प्रभावित है जिसका फ्रीहोल्ड नियमानुसार नही हो सकता मात्र 2879.6, वर्गमीटर भूमि का ही फ्रीहोल्ड क्रेतागण के पक्ष में किया जा रहा है और इस प्रकार क्रेतागण पट्टा विलेख की अनुसूची में उल्लिखित नजूल भूखण्ड जिसे इस विलेख की अनुसूची में भी वर्णित किया गया है के पट्टेदार

क्रेतागण के हस्ताक्षर

1.

2.

3.

विक्रेता

अपर जिलाधिकारी, इलाहाबाद
राज्यपाल, उ० प्र० की ओर से तथा
(अनुदेश द्वारा प्राधिकृत)
इलाहाबाद

1000Rs.

14 OCT 2000

(7)

से पट्टागत भूमि के नामित व्यक्ति हैं।

और चूँकि क्रेतागण ने इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड जिसके कि वह नामांकिती (नामित व्यक्ति) हैं। प्रदेश की नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण विषयक शासनादेश संख्या 1562/9-आ-4-92-293एन/90, दिनांक 23.5.1992; शासनादेश संख्या-3632/9-आ-4-92-293एन/90, दिनांक 2-12-92, शासनादेश संख्या- 2093/9-आ-4- 94-293एन/90, दिनांक 3-10-94, शासनादेश संख्या-3082/9-आ-4-95-628एन/95, दिनांक 1-1-96, शासनादेश संख्या-82/9-आ-4-96-629एन/95, दिनांक 17-2-96, शासनादेश संख्या-1300/9-आ-4-96-629एन/95, (टी.सी.), दिनांक 29-8-96, शासनादेश संख्या- 2029/9-आ-4-97-260एन/97, दिनांक 26-9-97, शासनादेश संख्या-667/9-आ-4-98-691/97 (टी0सी0), दिनांक 23 अप्रैल, 1998, शासनादेश संख्या -2268/9-आ- 4-98-704एन/97, दिनांक 1-12-98 एवं शासनादेश संख्या -1592/9-आ-4-99-691एन/97 टी0सी0, दिनांक 20-5-99 में निर्दिष्ट

क्रेतागण के हस्ताक्षर

1.

2.

3.

विक्रेता

अपर जिलाधिकारी, इलाहाबाद
राज्यपाल, उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(सत्य नारायण श्रीवास्तव)
अपर जिला मजिस्ट्रेट (सदर)
इलाहाबाद

1000Rs

14 OCT 2000

(8)

निर्देशानुसार फ्री-होल्ड लैण्ड घोषित करने तथा उस पर क्रेतागण को निजी स्वामित्व प्रदान करने हेतु जिलाधिकारी, जनपद - इलाहाबाद को निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र दिया है।

और चूँकि नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण विषयक जारी उपर्युक्त शासनादेशों में निर्दिष्ट निर्देशानुसार तथा शासनादेश संख्या-2268/9-आ-4-98-704एन/97, दिनांक 01 दिसम्बर 1998 के अनुसार स्यमूल्यांकन की धनराशि रूपये **2,35,400/-** (शब्दों में रूपये **दो लाख पैंतीस हजार चार सौ** मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या **2** दिनांक **28.01.1999 ई0** द्वारा, एवं दिनांक **2.12.1999 ई0** को निर्गत मांग पत्र संख्या **1124,नजूल (S.N.C.) XXI-8/1263** (फ्रीहोल्ड) **98-99** की धनराशि रूपये **4,06,382/-** (शब्दों में रूपये **चार लाख छः हजार तीन सौ बयासी** मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या **1** दिनांक **1.3.2000 ई0** द्वारा तथा दिनांक **10.08.2000 ई0** को निर्गत अतिरिक्त मांग पत्र संख्या **2191, नजूल (S.N.C.) XXI-8/1263** (फ्रीहोल्ड) **98-99** की धनराशि रूपये **4,87,101/-** (शब्दों में रूपये **चार लाख सत्तासी हजार एक सौ एक** मात्र) ट्रेजरी

क्रेतागण के हस्ताक्षर

1.

2.

3.

विक्रेता

जिलाधिकारी, इलाहाबाद
राज्यपाल, उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
([illegible])
[illegible] मजिस्ट्रेट (नजूल)
इलाहाबाद

5000Rs.

(9)

चालान संख्या 3 दिनांक 25.08.2000 ई0 द्वारा एवं उपरोक्त मांगपत्र दिनाँक 02.12.1999 ई० के अनुसार 20% की छूट जिसका लाभ क्रेता नही प्राप्त कर सके, की धनराशि 1,51,008/- (शब्दों में रूपये एक लाख इक्यावन हजार आठ मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या 2 दिनांक 29.10.2003 ई0 द्वारा, ~~इस प्रकार सम्पूर्ण शांकलित निर्धारित मूल्य रूपये 13,70,091/- (शब्दों में रूपये तेरह लाख सत्तर हजार इक्यानवे मात्र) क्रेतागण से~~

क्रेतागण के हस्ताक्षर

1.
2.
3.

विक्रेता

अपर जिलाधिकारी, इलाहाबाद
राज्यपाल, उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(राज नारायण चौरसिया)
अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक)
इलाहाबाद

100Rs

(10)

तथा अतिरिक्त मांग पत्र सं० 165/नजूल(एस०एन०सी०)-XXI-8/1263(फ्री-होल्ड),

दिनांक 29/11/2003 की धनराशि रु० 1,964.00 (शब्दों में रुपये एक हजार नौ

क्रेतागण के हस्ताक्षर

1.

2.

3.

विक्रेता

अपर जिलाधिकारी, नजूल, इलाहाबाद
राज्यपाल उ०प्र० की ओर से तथा उनके
द्वारा प्राधिकृत

(सत्य नारायण श्रीवास्तव)
आर ।ला मौजिस्ट्रेट (नजूल)
इलाहाबाद

100Rs

(11)

सौ चौसठ मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या S-12, दिनांक 01/12/2003 द्वारा, इस प्रकार सम्पूर्ण आंकलित धनराशि कुल रूपये 12,81,855.00 (शब्दों में रूपये बारह लाख एक्यासी हजार आठ सौ पचपन मात्र) 'क्रेतागण' से

क्रेतागण के हस्ताक्षर

1.

2.

3.

विक्रेता

अपर जिलाधिकारी, नजूल, इलाहाबाद
राज्यपाल उ०प्र० की ओर से तथा उनके
द्वारा प्राधिकृत
(नाम [illegible] श्रीवास्तव)
अपर जिला [illegible] (नजूल)
इलाहाबाद

5000Rs.

(12)

~~(10)~~

प्राप्त करके जिलाधिकारी, जनपद- इलाहाबाद आगे वर्णित शर्तों के अधीन इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजुल भूखण्ड को निजी स्वामित्व वाला (फ्री-होल्ड) भूखण्ड घोषित करने तथा उसपर क्रेतागण को निजी स्वामित्व प्रदान करने हेतु एतद्द्वारा सहमत हैं।

अतः उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित गवर्नमेन्ट

क्रेतागण के हस्ताक्षर

1.
2.
3.

विक्रेता

अपर जिलाधिकारी, इलाहाबाद
राज्यपाल, उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(सत्य नारायण चौरसिया)
आर० ए० १, सरस्वती (नजूल)
इलाहाबाद

5000Rs.

(13)

~~(11)~~

स्टाम्प ऐक्ट (सन् 1899 ई० का ऐक्ट संख्या 15) के अधीन निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड क्रेतागण के पक्ष में फ्रीहोल्ड (निजी स्वामित्व) घोषित करने हेतु क्रेतागण द्वारा विक्रेता को कुल धनराशि रूपये ~~12,79,891/-~~ 12,01,855/- (शब्दों में रूपये बारह लाख ~~उन्यासी~~ इक्यासी हजार आठ सौ ~~इक्यानवे~~ पचपन मात्र) जनपद- इलाहाबाद स्थित राजकीय कोषागार में उपर्युक्त ट्रेजरी चालान द्वारा किये गये भुगतान (जिसकी प्राप्ति विक्रेता एतद्द्वारा

क्रेतागण के हस्ताक्षर

1.
2.
3.

विक्रेता

जिलाधिकारी, इलाहाबाद
राज्यपाल, उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

(राम नारायण मौर्य)
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा०)
इलाहाबाद

1000Rs.

14 OCT 2000

(19)

स्वीकार करता है), के प्रतिफलस्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों जिनका क्रेता पालन करेगा, को ध्यान में रखकर विक्रेता एतद्द्वारा वह भूखण्ड, उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया गया है और जो स्पष्टीकरण के लिये इस विलेख से संलग्न मानचित्र में लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है को महायोजना में विनिर्दिष्ट अनावासीय भू-उपयोग के निमित्त फ्रीहोल्ड घोषित करते हैं और उसपर क्रेता को निजी स्वामित्व प्रदान करते हैं और क्रेता, उसके दायाधिकारी तथा समनुदेशिती सदा के लिये उसे अपने अधिकार में रखेंगे।

इस विलेख की अनुसूची में वर्णित भूखण्ड या उसपर निर्मित अथवा निर्माण किये जाने वाले भवन के सम्बन्ध में इस समय देय करों और उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का भुगतान क्रेता करेगा।

इस विलेख से उत्पन्न या इसके सम्बन्ध में या इसके विषय पर यदि कोई भी विवाद,

क्रेतागण के हस्ताक्षर

1.
2.
3.

विक्रेता

भ्रपर जिलाधिकारी, इलाहाबाद
राज्यपाल, उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

(सत्य नारायण श्रीवास्तव)
अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक)
इलाहाबाद

1000Rs.

14 OCT 2030

~~(13)~~(15)

मतभेद अथवा प्रश्न दोनों पक्षों या उसके दावेदार के बीच कभी उठ खड़ा हो तो वह निर्णय हेतु राज्य सरकार के आवास विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव को भेजा जायेगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इस विलेख के दोनों पक्ष उससे बाध्य होंगे।

यह फ्रीहोल्ड विलेख माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर रिट याचिका संख्या 32605/91, सत्य नारायण कपूर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि में पारित निर्णय दिनांक 15.10.1997 ई० के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 1557-59/98 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में जो कुछ भी व्यय होगा, क्रेतागण वहन करेंगे।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द "विक्रेता" और "क्रेतागण" की सम्बन्ध में, जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, "विक्रेता" में

क्रेतागण के हस्ताक्षर

1.

2.

3.

विक्रेता

अपर जिलाधिकारी, इलाहाबाद
राज्यपाल, उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

(सत्य नारायण कपूरानाद)
अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यूज)
इलाहाबाद

1000Rs.

14 OCT 2030

~~114~~ (16)

उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशिती का तथा "क्रेतागण" में उसके दायाधिकारियों, निष्पादकों, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का अन्तर्भाव है।

इस विलेख के साक्ष्य में क्रेतागण ने और विक्रेता की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने उन तिथियों को हस्ताक्षर कर दिये हैं जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी हैं।

इसमें अभिदिष्ट अनुसूची निम्नांकित है:-

नजूल भूखण्ड संख्या **40/3, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद** क्षेत्रफल ~~2874.67~~ 2079.67 वर्गमीटर स्थित मुहल्ला स्टैनली रोड (कस्तूरबा गाँधी मार्ग) सिविल स्टेशन, जनपद- इलाहाबाद जो संलग्न नक्शे में लाल रंग से दिखाया गया है और जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है:-

पूरब- नजुल भूखण्ड संख्या 39/2A, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद।

पश्चिम- मास्टर प्लान से प्रभावित भूमि बादहू कस्तूरबा गाँधी मार्ग, इलाहाबाद।

उत्तर- नजुल भूखण्ड संख्या 40/1,40/2 व 40/5 सिविल स्टेशन, इलाहाबाद।

क्रेतागण के हस्ताक्षर

1.

2.

3.

विक्रेता

अपर जिलाधिकारी, इलाहाबाद
राज्यपाल, उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(सहायक औद्योगिक)
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नजूल)
इलाहाबाद

1000Rs.

(15) (17)

दक्षिण- नजूल भूखण्ड संख्या 40/4 सिविल स्टेशन, इलाहाबाद।

फ्रीहोल्ड के लिये क्रेतागण ने स्वमूल्यांकन की धनराशि रूपये **2,35,400/-** (शब्दों में रूपये **दो लाख पैंतीस हजार चार सौ मात्र**) ट्रेजरी चालान संख्या **2** दिनांक **28.01.1999** ई० द्वारा, व दिनांक **2.12.1999** ई० को निर्गत मांग पत्र संख्या की धनराशि रूपये **4,06,382/-** (शब्दों में रूपये **चार लाख छः हजार तीन सौ बयासी मात्र**) ट्रेजरी चालान

क्रेतागण के हस्ताक्षर

1.

2.

3.

विक्रेता

अपर जिलाधिकारी, इलाहाबाद
राज्यपाल, उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

(ब्रज नारायण सिंह
अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक)
इलाहाबाद

1000 Rs.

~~416~~ (18)

संख्या 1 दिनांक **1.3.2000** ई0 द्वारा तथा दिनांक **10.08.2000** ई0 को निर्गत अतिरिक्त मांग पत्र की धनराशि रूपये **4,87,101/-** (शब्दों में रूपये चार लाख सत्तासी हजार एक सौ एक मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या **3** दिनांक **25.08.2000** ई0 द्वारा, एवं उक्त मांगपत्र दिनांक **02.12.1999** ई० के अनुसार **20%** की छूट जिसका लाभ क्रेता नही प्राप्त कर सके, की धनराशि **1,51,008/-** (शब्दों में रूपये एक लाख इक्यावन हजार आठ मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या **2** दिनांक **29.10.2003** ई0 द्वारा ~~[illegible]~~ तथा अतिरिक्त मांग पत्र दिनांक 29.11.2003 की धनराशि रु० 1964.00 (रुपये एक हजार नौ सौ चौंसठ मात्र) ट्रेजरी चालान सं० S-12 दिनांक 1.12.2003 कर, उस प्रकार सम्पूर्ण अंकलित निर्धारित मूल्य के प्रतिफल के हस्ताक्षर

विक्रेता

1.

2.

3.

अपर जिलाधिकारी, इलाहाबाद
राज्यपाल, उ० प्र० की ओर से तथा
[illegible] द्वारा प्रत्यर्पित
अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यूज)
इलाहाबाद

1000Rs

14 OCT 2000

रुपये 12,81,855.00 ~~12,79,891/-~~ (शब्दों में रूपये बारह लाख ~~उन्यासी~~ इक्यासी हजार आठ सौ ~~इक्यानवे~~ पचपन मात्र) जमा कर दिया है।

क्रेतागण के हस्ताक्षर

1. श्री गौरव मोहन
2. श्रीमती नीलिमा गुप्ता
3. अशोक कुमार देवड़ा

विक्रेता

9.1.2001

अपर जिलाधिकारी, इलाहाबाद
राष्ट्रपति की ओर से तथा
उपर उनके नाम प्राधिकृत
इलाहाबाद

1. साक्षी का हस्ताक्षर
पूरा नाम 209 कर्नलगंज इलाहाबाद
पता इलाहाबाद

2. साक्षी का हस्ताक्षर
पूरा नाम निसार अहमद
पुत्र स्व० मो० इलाहीबख्श
पता 105/93 बारीकगंज कटरा इलाहाबाद

1. साक्षी का हस्ताक्षर
नाम व पदनाम

2. साक्षी का हस्ताक्षर
नाम व पदनाम

विक्रेता कार्यालय अनुज सिंह

कोषागार इलाहाबाद

14-1-54

415

SITE PLAN OF NAZUL PLOT NO. 40, UP VIBHAJIT SANKHYA 40/5 CIVIL STATION ALLAHABAD TO BE FREE HOLD IN FAVOUR OF (1) SRI GAURAV MOHAN MANAGING DIRECTOR OF "ADOVAIT AUTO FINANCE" PVT. LTD. ALLD (2) SMT. NEELIMA GUPTA "DIRECTOR OF SHAYAM HOUSING & FINANCE" PVT. LTD. ALLD (3) SRI ASHOK KUMAR DEORA "TRUSTEE OF DEORA LOKMANGAL TRUST" ALLAHABAD AREA 2879.67 SQ. METERS SHOWN IN RED COLOUR.

LAND EFFECTED AS PER MASTER PLAN FOR WIDENING OF STANLEY ROAD AREA 627.70 SQ. METERS SHOWN IN YELLOW COLOUR, WHICH IS PART OF TOTAL NOMINATED AREA 2542.37 SQ. METERS. TOTAL AREA OF NAZUL PLOT NO. 40 = 2 ACR. 4594 SQ. YARDS.
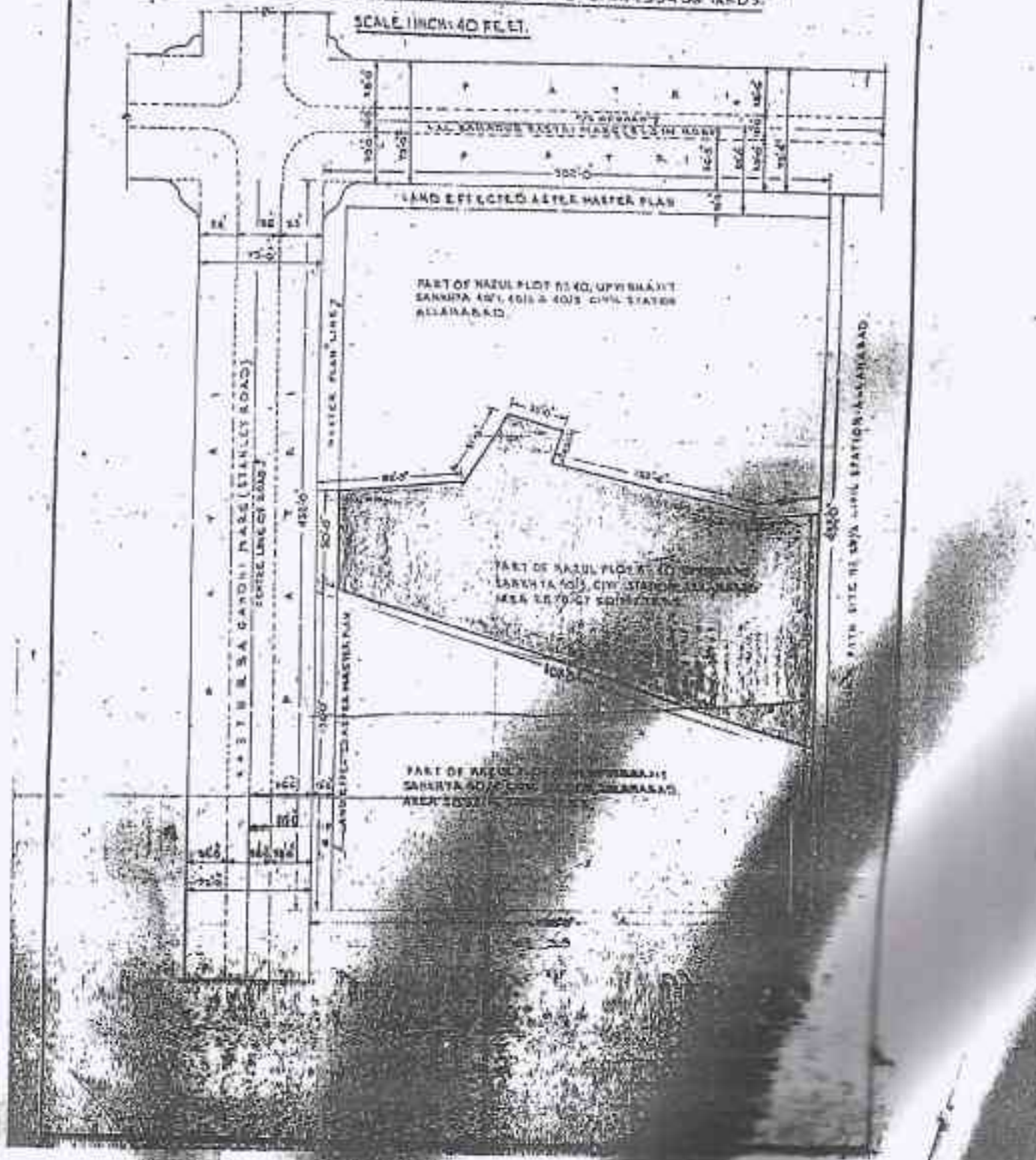
SCALE 1 INCH = 40 FEET.